

दिनांक 11.09.2017 को मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित  
कार्यदायी संस्थाओं की समीक्षा बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 11.09.2017 को सभी कार्यदायी संस्थाओं की समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त कार्यालय गोण्डा के सभागार में अपरान्ह 3.30 बजे से प्रारम्भ हुई। बैठक में कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है:-

सर्वप्रथम गत बैठक दिनांक 04.08.2017 में पाई गई कमियों से अवगत कराया गया तथा उसकी अनुपालन आख्या अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि बाढ के कारण जो शासकीय क्षति हुई है उन कार्यों के क्षति का आकलन कर तदनुसार प्राक्कलन/कार्ययोजना तैयार कर एक सप्ताह में जिलाधिकारी के स्तर से प्रस्ताव सक्षम स्तर पर भेजा जाय। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि माह में दो बार अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 को प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

सड़कों को गडढा मुक्त किये जाने के अर्न्तगत जनपद-गोण्डा में मण्डी परिषद / गन्ना विभाग द्वारा नवीनीकरण/विशेष मरम्मत के अर्न्तगत धनराशि उपलब्ध रहे। उपरान्त भी शतप्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है।

जनपद-बलरामपुर में मण्डी परिषद, जिला पंचायत तथा नगर निकाय के कार्य अवशेष हैं, इसे प्राथमिकता के आधार पर 30 सितम्बर 2017 तक पूर्ण कराया जाय।

जनपद-बहराइच के अर्न्तगत लोक निर्माण विभाग का ग्रामीण मार्ग तथा गन्ना विभाग के कार्य अभी अवशेष हैं। संयुक्त गन्ना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-बहराइच में शासन से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। विभागीय फन्ड से कार्य कराया गया है।

जनपद-श्रावस्ती में लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत लक्षित कार्यों के सापेक्ष अभी भी कार्य अवशेष है, अवशेष कार्यों को वरीयता के आधार पर इस माह के अन्त तक पूर्ण कराया जाय।

50 लाख से अधिक लागत की सड़क परियोजना की समीक्षा के अर्न्तगत अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि जनपद-गोण्डा में पूर्वान्चल विकास निधि योजनार्न्तगत कई कार्यों पर शतप्रतिशत धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मांग पत्र

प्रेषित किया जाय। गत माह से इस माह सन्तोषजनक प्रगति न होने के सम्बन्ध में अधीक्षण, लो0नि0वि0 द्वारा बताया गया कि जो कार्य पूर्ण हो गये हैं, उन्हें प्रारूप से हटा दिया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जो कार्य मार्च 2017 के उपरान्त पूरे हुये हों, उन्हें प्रगति रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये संशोधित रिपोर्ट प्रेषित किया जाय। अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बताया गया कि 07 कार्यों पर धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जाय। यह भी अवगत कराया गया कि अभी 02 कार्य अनारम्भ स्थिति में क्यों हैं ?

जनपद-बलरामपुर की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 द्वारा बताया गया कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत निर्माण खण्ड के 04 कार्यों पर द्वितीय किस्त की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इसी प्रकार पूर्वान्वल विकास निधि के अन्तर्गत 07 कार्यों पर भी सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत 09 कार्यों पर धनराशि प्राप्त होना अवशेष है, जो धनराशि प्राप्त हुई है उसका व्यय किया जा चुका है।

जनपद-बहराइच की समीक्षा के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि पूर्वान्वल विकास निधि के 05, डा0 रा0म0लो0 समग्र ग्राम के 12 तथा राज्य योजना के 02, व्यापार विकास निधि के 02, जिला योजना के 02 तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के 01, प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के 07 व इन्डो नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना के 01 कार्य पर सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, जो धनराशि प्राप्त हुई है, उसका व्यय किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर मांग पत्र प्रेषित किया जाय।

अधिकांश अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड-श्रावस्ती द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध है, 02 कार्यों पर टेन्डर हो रहा है, जो इस सप्ताह में पूर्ण करा लिया जायेगा, 01 कार्य अनारम्भ है, जिसे इस माह में प्रारम्भ करा लिया जायेगा। जनपद-श्रावस्ती के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पूर्वान्वल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत 10, राज्य योजना के 03, व्यापार विकास निधि के 05, राज्य सड़क निधि के 04 बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट के 01, एस0सी0पी0 के 03 तथा इन्डो नेपाल बार्डर परियोजना के 02 कार्यों के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, जो धनराशि प्राप्त हुई थी उसका व्यय किया जा चुका है।

समीक्षोपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग व अन्य कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि गड्ढामुक्ति एवं सड़क निर्माण

सम्बन्धी कार्यों को समय से पूर्ण कराया जाय तथा कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। जिन कार्यों पर धनराशि उपलब्ध नहीं है, उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी के स्तर से मांगपत्र सक्षम स्तर को प्रेषित किया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि दिनांक 01.09.2017 से ई-टेन्डरिंग का कार्य प्रारम्भ हो गया है, यह देख लिया जाय कि डिजिटल सिग्नेचर अपलोड हुआ अथवा नहीं। कितना ई-टेन्डरिंग का प्रकाशन किया गया है, इसकी सूचना अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा संकलित कर प्रेषित किया जाय।

50 लाख से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों (सड़क को छोड़कर) की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता, पैकफेड द्वारा बताया गया कि जनपद-गोण्डा में राजकीय पालीटेक्निक-आदमपुर, तरबगंज (गोण्डा) हेतु 50 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुई है, जो धनराशि प्राप्त हुई थी, उसका व्यय किया जा चुका है तथा उपभोग प्रमाण-पत्र के साथ मांग पत्र प्रेषित किया जा चुका है। जनपद-गोण्डा के अर्न्तगत कारागार-गोण्डा में आवासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एक दो दिन में हस्तान्तरण हेतु प्रपत्र प्रेषित कर दिया जायेगा। मतस्य उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्र कर्नेलगंज-गोण्डा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कार्य पूर्ण है हस्तान्तरण प्रपत्र प्रेषित कर दिया गया है। जनपद-गोण्डा में आसरा योजना के अर्न्तगत बन रहे आवासों के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस द्वारा बताया गया कि कुल लक्षित 600 आवास के सापेक्ष 288 आवास डूडा को हस्तान्तरित कर दिया गया है, शेष आवास दिनांक 31.10.2017 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे। राजकीय बालिका इन्टर कालेज, इटियाथोक तथा हलधरमऊ के सम्बन्ध में बताया गया कि धनराशि द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्य लम्बित है। आसरा योजना अर्न्तगत नवाबगंज (गोण्डा) में बन रहे आवासों के सम्बन्ध में बताया गया कि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत से भी कम धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष प्रथम तल की छत पड़ गई है। अधिशाषी अभियन्ता, यू0पी0 सिडको-गोण्डा द्वारा बताया गया कि महिला छात्रावास राजकीय पालीटेक्निक-गोण्डा एवं छात्र छात्रावास राजकीय पालीटेक्निक आदमपुर (गोण्डा) हेतु पुनरीक्षित आगणन क्रमशः 157.02 लाख तथा 156.69 लाख शासन को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है। पेयजल योजना की प्रगति सन्तोषजनक नहीं पाये जाने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आर्सेनिक वाले क्षेत्रों में इस माह धनराशि अवमुक्त होने

की सम्भावना है। अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि जो भौतिक प्रगति हुई है, उसे प्रगति रिपोर्ट में दर्शाया जाय। अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बताया गया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय-रूपईडीह एवं कर्नल गज तथा रराजकीय हाईस्कूल दौलतपुर (गोण्डा) में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि प्रकरण को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाकर एक सप्ताह में निस्तारण कराया जाय।

जनपद-बलरामपुर की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था-पैकफेड द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय का कार्य पूर्ण है तथा उसे हस्तान्तरित किया जा चुका है। परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस द्वारा बताया गया कि राजकीय इन्टर कालेज दारी चौरा तथा इटईरामपुर इस माह में एवं राजकीय इन्टर कालेज-गैसडी अक्टूबर 2017 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। आगनबाडी केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य 52 के सापेक्ष 26 पर कार्य पूर्ण है 07 आगनबाडी केन्द्र निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन 226.43 लाख प्रेषित किया गया है, स्वीकृति अपेक्षित है। एम०एस०डी०पी० के अर्न्तगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकटवा कला के सम्बन्ध में बताया गया कि जो धनराशि उपलब्ध थी, उससे कार्य कराया जा चुका है, अवशेष धनराशि की मांग की गई है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-महुआधानी (एम०एस०डी०पी०) में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय कम होने के सम्बन्ध में बताया गया कि बाढ़ के कारण विलम्ब हुआ है। मुख्य भवन माह-अक्टूबर में पूर्ण करा लिया जायेगा। वर्ष 2016-17 कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी के अर्न्तगत अवगत कराया गया कि मात्र 10 चहारदीवारी अवशेष हैं, जिसे इस माह में पूर्ण करा लिया जायेगा। राजकीय पालीटेक्निक उतरौला (बलरामपुर) में अनावासीय/आवासीय भवन निर्माण के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस० को निर्देशित किया गया कि उपलब्ध धनराशि कार्य को शीघ्र पूर्ण करायें तथा आवश्यक धनराशि की मांग सुनिश्चित करायें। पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान जनपद-बलरामपुर की प्रगति कम होने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि बाढ़ के कारण प्रगति प्रभावित हुई है, इस माह प्रगति में सुधार कर लिया जायेगा। इटईरामपुर में पानी की आपूर्ति पम्पिंग सेट के माध्यम से प्रारम्भ करा दिया गया है। समीक्षोपरान्त सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि लम्बित कार्यों को माह-अक्टूबर 2017 तक पूर्ण कराया जाय तथा जिन परियोजनाओं को धनराशि नहीं है, धनराशि की मांग हेतु जिलाधिकारी के स्तर से पत्राचार सुनिश्चित कराया जाय।


जनपद-बहराइच की समीक्षा के दौरान परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० द्वारा बताया गया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-कटघरा कला (कैसरगंज) का कार्य बाढ के कारण पूर्ण नहीं हो पाया है, जिसे माह-अक्टूबर 2017 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। 03 जूनियर हाईस्कूल निर्माण के सम्बन्ध में बताया गया कि प्रति विद्यालय 69 लाख के सापेक्ष मात्र 20-20 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। संयुक्त निदेशक, शिक्षा द्वारा बताया गया कि धनराशि उपलब्ध नहीं है, मांगपत्र भेजा गया है, इस माह प्राप्त होने की सम्भावना है। राजकीय नवीन हाई स्कूल मटेही के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता, यू०पी० सिडको द्वारा बताया गया कि बाढ के कारण कार्य अवरूद्ध था, माह-अक्टूबर 2017 में कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। नवीन हाई स्कूल गुरघुट्टा के सम्बन्ध में बताया गया कि यह कार्य निरस्त कर दिया गया है तथा एम०एस०डी०पी० से यहाँ विद्यालय बन गया है। इस सम्बन्ध में शासन/मुख्यालय को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाय। परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस द्वारा बताया गया कि राजकीय इन्टर कालेज भग्गडवा में विवाद समाप्त हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। राजकीय पालीटेक्निक-बहराइच में 60 सीट छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में बताया गया कि धनराशि उपलब्ध है। फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, दिनांक 31.10.2017 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। कैसरगंज में राजकीय बालिका इन्टर कालेज के छात्रावास निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मात्र 64 प्रतिशत व्यय होने की स्थिति में परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस० द्वारा बताया गया कि बाढ के कारण कार्य प्रभावित हुआ है, इस माह व्यय में सुधार किया जायेगा। सहायक अभियन्ता, पैकफेड द्वारा बताया गया कि राजकीय पालीटेक्निक-बहराइच में पुरुष छात्रावास निर्माण हेतु धनराशि माह-दिसम्बर 2017, में प्राप्त हुई है, प्राप्त धनराशि का शतप्रतिशत व्यय किया जा चुका है। छात्रावास की छत पड गई है, उपभोग प्रमाण-पत्र प्रेषित करते हुये अवशेष धनराशि की मांग की गई है।

जनपद-श्रावस्ती की समीक्षा के दौरान परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० द्वारा बताया गया कि बालिका छात्रावास जमुनहा में प्रथम तल के स्लेब का कार्य प्रगति पर है तथा इस माह में उपलब्ध धनराशि का व्यय कर लिया जायेगा। परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस० द्वारा बताया गया कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज भिनगा श्रावस्ती में शतप्रतिशत धनराशि अवमुक्त हो गई है, जिसे माह-दिसम्बर 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। राजकीय इन्टर कालेज हरिहरपुररानी के सम्बन्ध में बताया गया कि इसका स्थान परिवर्तन कर वर्गावर्गी में स्थल चयन कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया। स्वीकृति

अपेक्षित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-लक्ष्मनपुर बाजार के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक,सी०एण्ड डी०एस० को निर्देशित किया गया कि प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम मुख्य भवन का कार्य पूर्ण कराया जाय, तत्पश्चात अन्य भवन का निर्माण कार्य कराया जाय। जो धनराशि उपलब्ध है, उसे नियमानुसार माह-सितम्बर 2017 तक शतप्रतिशत व्यय किया जाय। सहायक अभियन्ता पैकफेड द्वारा बताया गया कि तहसील जमुनहा में अनावासीय भवन निर्माण हेतु 7.37 करोड का पुनरीक्षित आगणन भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय-गिलौला के सम्बन्ध में बताया गया कि 1.13 करोड धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसका शतप्रतिशत व्यय कर लिया गया है तथा अवशेष धनराशि हेतु मांग पत्र विभाग को भेजा जा चुका है। राजकीय पालीटेक्निक-श्रावस्ती में 60 क्षमता वाले छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था,यू०पी०सिडकों द्वारा बताया गया कि इसका कार्य माह-अक्टूबर,2017 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। मोतीपुर कला गांव में थारू हेरिटेज वर्कशाप, म्यूजिकल संगीतालय एवं बाथरूम निर्माण के समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० द्वारा बताया गया कि यह परियोजना बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अर्न्तगत स्वीकृत है, जिसमें फिनीशिंग का कार्य चल रहा है, अवशेष धनराशि हेतु मांग पत्र भेजा जा चुका है।

समीक्षोपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०-गोण्डा/बाराबंकी वृत्त-गोण्डा/बाराबंकी तथा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों के अर्न्तगत रैंकिंग कार्य की गुणवत्ता के आधार पर जनपद के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदान की जायेगी। अतएव निर्माण कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय,जिससे आम जन मानस को योजना का उचित लाभ मिल सके एवं मण्डल/जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके। जो धनराशि उपलब्ध है, उससे कार्य कराते हुये नियमानुसार 30 सितम्बर 2017 तक व्यय सुनिश्चित किया जाय, 50 लाख से ऊपर के कार्यों के गुणवत्ता की जाँच कराई जाय। बैठक में अधिशाषी अभियन्ता,पैकफेड-गोण्डा, सहायक अभियन्ता, पैकफेड-बहराइच के विलम्ब से आने पर तथा अधिशाषी अभियन्ता,उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस-बलरामपुर, परियोजना प्रबन्धक,राजकीय निर्माण निगम-गोण्डा,बलरामपुर व बहराइच के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0- गोण्डा/बाराबंकी वृत्त-गोण्डा/बाराबंकी तथा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायें।

  
(एस0बी0एस0रंगाराव)  
आयुक्त,  
देवीपाटन मण्डल,  
गोण्डा।


### कार्यालय आयुक्त, देवीपाटन मण्डल-गोण्डा।

पत्रांक 389 /बैठक कार्यवृत्त/2017-18

दिनांक 23, सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी-गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।
2. मुख्य विकास अधिकारी-गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।
3. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0-गोण्डा/बाराबंकी वृत्त, गोण्डा/बाराबंकी।
4. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, देवीपाटन मण्डल।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, गोण्डा।

  
संयुक्त विकास आयुक्त,  
देवीपाटन मण्डल,  
गोण्डा।